

क्रमांक 762/503/आउशि/छा/2023

भोपाल दिनांक 24/7/2023

प्रति,

- 1 कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 2 प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
उच्च-शिक्षा, मध्यप्रदेश।

R-1688
25/7/23

की अतिरिक्त -
DSW
BR (DSW)
AR (self-st cell.)
25/7/2023

विषय :- उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त/प्रतिष्ठित निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों एवं विदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रतिष्ठित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करने हेतु निम्न व्यवस्था/कार्यवाही करना सुनिश्चित करे :-

- 1 सूचना पटल पर उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना नाम एवं अन्य जानकारी प्रदर्शित/चस्पा की जाए।
- 2 योजना का सूक्ष्म विवरण सहित उचित आकार का बैनर संस्था के आगम-निर्गम स्थान प्रदर्शित कराया जाए।
- 3 योजना के संबंध में नवीन एवं अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवगत कराया जाए।

उक्त योजना संबंधी मार्गदर्शिका एवं दिशा-निर्देश पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

24/7/23

(आर के गोस्वामी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पू.क्रमांक 763/503/आउशि/छा/2023,
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 24/7/2023

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।

24/7/23

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश